हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

सोमवार, 6 अप्रैल, 2015/16 चैत्र, 1937(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **39वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **18वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 45वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सुरेश भारद्वाज, दिनांक 2 अप्रैल, 2015 की रात्रि को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के Hotel Holiday Home के परिसर में गोली चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** जिला शिमला के अन्तर्गत चायल के निकट साधुपुल में क्षतिग्रस्त हुए पुल का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** जिला कुल्लू के मानगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत गांव थाच कोठी के गरीब भेड़पालक परिवार को सरकारी डिपो से शीघ्रातिशीघ्र राशन दिलवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा),** प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत्त सिलाई अध्यापिकाओं की मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, प्रस्ताव करेंगे कि:

" यह सदन सरकार की वर्तमान पन-विद्युत ऊर्जा नीति पर विचार करें ।"

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 04 अप्रैल, 2015 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो, तो वह भी प्रस्तुत किए जायेंगे)